


१० II 872
3-3-10

 राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित <i>Published by Authority</i>
माघ 7, बुधवार, शाके 1931—जनवरी 27, 2010 <i>Magha 7, Wednesday, Saka 1931—January 27, 2010</i>	

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 15, 2010

एस. ओ. 374:—गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिपेक्ष) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) संपठित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प. 23 (2) चि. स्वा./2003 पार्ट दिनांक 01 जुलाई, 2003 समय-समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "शासन सचिव (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग" को अभिव्यक्ति "विशिष्ट शासन सचिव (परिवार कल्याण)" से प्रतिस्थापित किया जावेगा ।

[संख्या प. 23(2)/चि. एवं स्वा. 3/ग्रुप-3/2010 पाठे]

राज्यपाल की आज्ञा से,
महेश चन्द्र शर्मा,
उप शासन सचिव ।